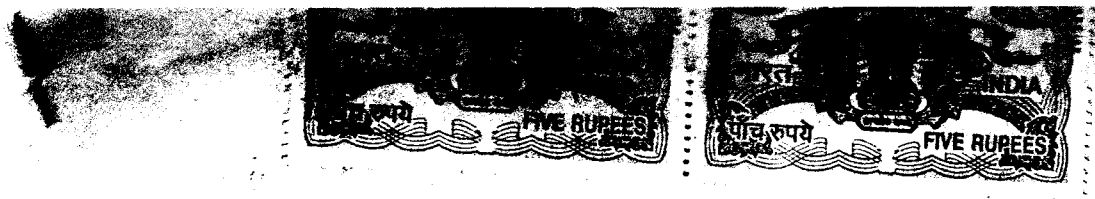

(127)

<u>माननीय न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.</u>

निग – 3103-PBR/16

1 मोहन पिता कालु गरवाल भील उम्र 35 वर्ष,

2 सोहन पिता कालु गरवाल भील उम्र 30 वर्ष,

दोनो का धंधा कृषि कार्य, निवासीयान ग्राम

लाखिया तह. रावटी जिला रतलाम म.प्र. ----प्रार्थीगण

<u>विरूद्ध</u>

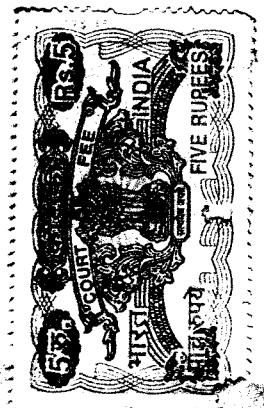

1 तोलू पिता वरसिंग मचार भील उम्र वयस्क

2 कालु पिता वरसिंग मचार भील उम्र वयस्क

3 छोटू पिता वरसिंग मचार भील उम्र वयस्क

4 लालू पिता वरसिंग मचार भील उम्र वयस्क

समस्त का धंधा कृषि कार्य, निवासीयान ग्राम

लाखिया तह. रावटी जि. रतलाम ----प्रतिप्रार्थी

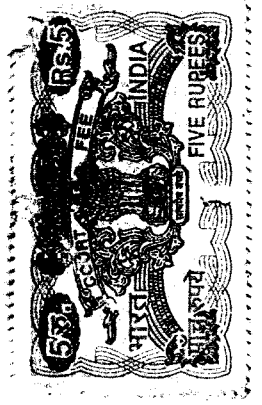

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता</u>

<u>मान्यवर महोदय,</u>

प्रार्थीगण यह निगरानी वि.अधि.न्याया. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील रावटी (श्रीमति तोमर) जिला रतलाम द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 15अ 70 / 11–12 मे पारित आदेश दिनांक 02.04.16 से व्यथित होकर निम्न आधारो के अतिरिक्त अन्य आधारो पर प्रस्तुत करते हैं :–

<u>–: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–</u>

इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध प्रतिप्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.राज.संहिता के तहत दिनांक 25.06.12 को वि.अधि.न्याया. श्रीमान तेहसीलदार महोदय रावटी के समक्ष प्रस्तुत किया, प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण प्रतिप्रार्थीगण की साक्ष्य हेतु नियत होने पर प्रकरण मे प्रतिप्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य स्वरूप आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत प्रतिप्रार्थी तोलू स्वयं का, कैलाश तथा रतनलाल के शपथ पत्र दिनांक 22.11.12 को पेश किये गये। प्रकरण के विचारण के दौरान (मूल प्रकरण के प्रतिप्रार्थी क्र.3) जालू पिता फूला का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3103–पीबीआर/16 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–5–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–4–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151, आदेश 7 नियम 14 एवं धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत तीनों आवेदन पत्रों को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया गया है कि उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में अभी साक्ष्य प्रारंभ नहीं हुये है और अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र के संदर्भ में ही संशोधन चाहा गया है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	